न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2,हरदोई

उपस्थितः जयप्रकाश पाण्डे,

एच 0 जे0 एस 0

सत्र परीक्षण सं0-36/16

अ 0 सं0-816 ए/14

धाराः147,148,323/149,452,504,506 भा0 दं0 सं0

थानाः कासिमपुर।

राज्य बनाम रामदत्त दीक्षित आदि।

दिनांकः20.03.2018

प्रार्थी रामपाल पी0 डब्लू0-1 द्वारा प्रार्थनापत्र 29 ब अर्न्तगत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि इस घटना में अन्य अभियुक्तगण के साथ रामासरे पुत्र रामकुमार भी सम्मिलित था और रामासरे ने अपनी राइफल की नाल से छुन्नू के सिर पर प्रहार किया था तथा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर रामासरे द्वारा भी अपराध कारित किया गया जिसके संबंध में अन्य अभियुक्तगण के साथ रामासरे के विरूद्ध भी थाने में तहरीर देकर मुकदमा लिखाया गया था लेकिन दौरान विवेचना विवेचक ने मुकदमे की सही विवेचना नही की और अभियुक्त रामासरे से लिकर उसे लाभ पहुंचाने की नीयत से उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित नही किया तथा रामासरे को विवेचना से निकाल दिया। प्रार्थी का सशपथ बयान न्यायालय में हो चुका है जिसमें अभियुक्त रामासरे की सह-भागिता भी सह-अभियुक्तगण के साथ होने का कथन किया है। रामासरे पुत्र रामकुमार को अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र पर इस सत्र परीक्षण के वर्तमान अभियुक्त नवल किशोर द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें कथन किया गया है कि दिनांक 17.10.14 को समय सुबह पौने आठ बजे रामदेव उर्फ छुन्नू, छोटे उर्फ शिवसरन, रज्जन पुत्र रामपाल, अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार व राकेश कुमार पुत्र दयाशंकर स्कूल की गाड़ी आम रास्ता से न निकलने के संबंध में एक राय होकर मारपीट करने के लिये कहा तथा सभी लोगों ने प्रार्थी व राधेश्याम, लवकुश, रामप्रकाश, को असलहों की बटों से मारने लगे। प्रार्थी के पिताजी भागे तो सभी लोगों ने ईट फेंककर मारते हुए दौड़े प्रार्थी के पिता घर में नही घुस पाये थे उक्त सभी लोगों ने ललकार कर कहा कि गोली मार दो तो रामदेव उर्फ छुन्नू ने प्रार्थी के पिता को गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त मुकदमे के रामदेव, छोटे, रज्जन, अमित कुमार, रामनिवास, राकेश कुमार ने विधिक राय लेकर के क्रासकेस बनाने के उददेश्य से दिनांक 19.10.14 को 19.35 पी0 एम 0 पर रिपोर्ट दर्ज करायी जिसमें प्रार्थी के अलावा रामासरे आदि को भी अभियुक्त बनाया गया लेकिन दौरान विवेचना विवेचक ने रामासरे की नामजदगी साक्ष्य के अभाव में गलत पायी क्योंकि रामासरे क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। रामासरे की प्रतिष्ठा गिराने के उददेश्य से उन्हें झूठा नामजद कर दिया गया था। वास्तव में घटना के समय मौके पर नही था।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र एवं आपत्ति पर विद्वान अधिवक्तागण के तर्को का श्रवण किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस मुकदमे की एफ 0 आई 0 आर 0 के अवलोकन से पाया जाता है कि अन्य अभियुक्तगण के साथ रामासरे को

भी इस मुकदमे की एफ 0 आई 0 आर 0 में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। आपत्तिकर्ता नवल किशोर द्वारा भी अपनी लिखित आपत्ति में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दिनांक 17.10.14 को पक्षकारों के मध्य मारपीट की घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। यह स्वीकार किया गया है कि इसके संबंध में क्रासकेस दर्ज कराई गई थी जिसमें रामासरे को मुल्जिम बनाया गया था।

प्रार्थी रामपाल द्विवेदी इस सत्र परीक्षण में बतौर पी0 डब्लू0-1 के रूप में परीक्षित हुआ जिसने अपनी मुख्य पृच्छा में कथन किया कि-

"दिनांक 17.10.14 को लगभग आठ बजे सुबह मैं अपने मकान के बरामदे में तख्त के ऊपर बैठा था। मेरा लड़का रामदेव उर्फ छुन्नू मकान में ही बनी परचून की दुकान पर बैठा था। मेरे गांव के पूर्व प्रधान रामासरे दीक्षित का गांव के बाहर एक स्कूल है। स्कूल के वाहन बस व मैजिक है। मेरे दरवाजे के सामने से मैजिक निकलती थी। मैजिक बहुत तेजी से घर के सामने से निकालते थे जिससे एक बार मैजिक गाय से टकरा गयी थी। मेरे लड़के छुन्नू ने कई बार कहा कि मैजिक गांव से बाहर वाली सड़क से निकाला करो यहां तेज चलाने से कई बार दुर्घटना हो गयी है। हमारे घर के बच्चे बाहर खेलते है। यह उपरोक्त बाते घटना वाले दिन से पहले कही थी। इसी बात को लेकर मुल्जिमान रंजिश मानते थे। घटना वाले दिन दिनांक 17.10.14 को जब मैं अपने बरामदे में बैठा था व मेरा लड़का छुन्नू उर्फ रामदेव दुकान पर बैठा था। समय लगभग आठ बजे सुबह रामासरे दीक्षित, रामदत्त उर्फ डिप्टी, प्रमोद उर्फ पिन्टू, नवलकिशोर, रामजी, मायाप्रकाश असलहे लेकर मेरे दरवाजे पर आ गये। इन लोगों में रामासरे के पास लाइसेंसी राइफल, रामदत्त उर्फ डिप्टी के पास लाइसेंसी बन्दूक, प्रमोक के पास भी लाइसेंसी बन्दूक थी। बाकी लोगों के पास लाठी डन्डे थे। इन लोगो ने आते ही मेरे लड़के रामदेव उर्फ छुन्नू से कहा कि बड़े गुण्डे हो गये हो, गाड़ी नही निकलने देते हो और गंदी गंदी गालियां देने लगे और कहा कि मैजिक रास्ते से नही निकलने देते हो। छुन्नू उर्फ रामदेव कुछ बोल पाते इससे पहले ही रामासरे ने राइफल की नाल से सिर पर प्रहार कर दिया तब राकेश ने कहा कि भैया छुन्नू उर्फ रामदेव को क्यों मार रहे हो तब रामदत्त व प्रमोद, राकेश को बन्दूक की नाल से मारने लगे। छुन्नू व राकेश मौका पाकर मेरे घर के अन्दर भागे तब सभी मुल्जिमान मेरे घर के अन्दर घुस आये और घर के अन्दर रामदेव उर्फ छुन्नू, छोटे उर्फ शिवसरन, रज्जन तथा राकेश कुमार व राकेश कुमार के लड़के अमित कुमार व मुझे मारने पीटने लगे।"

इस प्रकार पी0 डब्लू0-1 द्वारा मुख्य पृच्छा में किये गये कथनों से इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अन्य अभियुक्तगण के साथ इस घटना में रामासरे भी सम्मिलित था। यद्वपि पी0 डब्लू0-1 का प्रतिपृच्छा होना अभी शेष है लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2014 (1) जे0 आई 0 सी0 539 एस 0 सी0 में धारा 319 दं0 प्र 0 सं0** के संबंध में स्थापित किये गये विधि व्यवस्था के अनुसार साक्षी की मुख्य पृच्छा के आधार पर भी किसी व्यक्ति को विचारण हेतु तलब किया जा सकता है। पी0 डब्लू0-1 इस मुकदमे का वादी है जिसने इस घटना की एफ 0 आई 0 आर 0 थाने पर दर्ज करायी है तथा अपनी एफ 0 आई 0 आर 0 में भी रामासरे को इस घटना में सम्मिलित होने का कथन करते हुए रामासरे द्वारा अपनी राइफल की नाल से छुन्नू के सिर पर प्रहार किये जाने का कथन किया गया है। तथा पी0 डब्लू0-1 ने अपने बयान अर्न्तगत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में भी रामआसरे को बतौर अभियुक्त नामित किया है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि पी0 डब्लू0-1 इस मुकदमे के प्रारम्भ से रामासरे को बतौर अभियुक्त नामजद किया है परन्तु विवेचक द्वारा बिना किसी आधार पर रामासरे को इस मुकदमे से निकाल दिया

गया है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2014 (1) जे0 आई 0 सी0 539 एस 0 सी0** में धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 में प्रतिपादित विधि दृष्टान्तों तथा इस केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर इस सत्र परीक्षण में अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ रामासरे को बतौर अभियुक्त विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थी रामपाल (वादी मुकदमा) का प्रार्थनापत्र 29 ब अन्र्तगत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 स्वीकार किया जाता है। इस सत्र परीक्षण में अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ रामासरे पुत्र रामकुमार को बतौर अभियुक्त विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त रामासरे के विरूद्ध जमानतीय वारंट मु0 5000/-रूपये जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक 02.04.2018 को पेश हो।

(जयप्रकाश पाण्डे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-2,हरदोई।